**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

 **राज्य सभा**

 **अतारांकित प्रश्न संख्या-2074**

**जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।**

**बीबीएमबी द्वारा भूमि का आवंटन**

**2074. श्री अविनाश राय खन्नाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने तलवाड़ा नांगल टाउनशिप में मन्दिर, गुरुद्वारे, इत्यादि के लिए भूमि दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने संगठनों तथा सोसाइटियों को भूमि आबंटित की गई है और कब से की गई है और इनके निबंधन और शर्त़ें क्या-क्या है;

(ग) क्या तलवाड़ा की गौशाला समिति ने भुगतान पर भूमि का आबंटन करने का अनुरोध किया है और क्या सरकार उन्हें भूमि का आवंटन करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और किन-किन शर्त़ों पर?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख)** जी, हां । संबंधित परियोजनाओं के निर्माण के समय नांगल में तत्कालीन भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और तलवाड़ा में ब्यास निर्माण बोर्ड (बीसीबी) द्वारा पट्टा आधार पर कुछ धार्मिक निकायों जैसे मंदिरों, गुरूद्वारों एवं चर्चों को भूमि आवंटित की गई थी । कुछ धार्मिक निकायों द्वारा अतिक्रमण की गई अतिरिक्त भूमि को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दोनों स्थानों अर्थात् नांगल और तलवाड़ा में नियमित किया गया था। उन धार्मिक निकायों जिन्हें भूमि आवंटित/नियमित की गई थी, का ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है ।

**(ग) और (घ)** गौ संरक्षण सभा, तलवाड़ा टाउनशिप ने तलवाड़ा में गौशाला के लिए बीबीएमबी की भूमि का अवैध तरीके से अतिक्रमण किया था । सभा ने गौशाला के उद्देश्य से इस अतिक्रमण की गई भूमि के आवंटन हेतु बीबीएमबी से अनुरोध किया था ।

 बीबीएमबी ने सूचित किया है कि अवैध रूप से अतिक्रमण की गई भूमि को खाली कराने के लिए उक्त गौ संरक्षण सभा के खिलाफ बेदखल करने की प्रक्रिया संपदा अधिकारी न्यायालय, बीबीएमबी, तलवाड़ा टाउनशिप में लंबित है । अगली सुनवाई 31.07.2014 को निर्धारित की गई है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

**बीबीएमबी द्वारा भूमि का आवंटन के बारे में राज्य सभा में दिनांक 28.07.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या-2074 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।**

**(क) ब्यास निर्माण बोर्ड द्वारा दिनांक 03.05.1968 के पत्र संख्या 2334-38/बीपी-118 के तहत तलवाड़ा टाउनशिप में आवंटित की गई भूमिः**

|  |  |
| --- | --- |
| **क्र.सं.** | **संस्थानों के नाम** |
| **1** | सेक्टर 4-सी में बाल्मिकी मंदिर |
| **2** | सेक्टर 1-बी में चर्च |
| **3** | सेक्टर 2-सी में गुरूद्वारा |
| **4** | सेक्टर 2-डी में सनातन धर्म मंदिर |
| **5** | सेक्टर 3-सी में आर्य समाज मंदिर |
| **6** | सेक्टर 3-डी में गुरू रवि दास मंदिर |

**(ख) नांगल टाउनशिप में तत्कालीन भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा आवंटित भूमि और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दिनांक 19.11.1993 के पत्र संख्या 37854-56/बी-220/53/4-आईआरआर के तहत नियमित की गई भूमिः**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **संस्थानों के नाम** | **कब्जेवाली भूमि (वर्गफुट में)** |
| **1** | डीडी ब्लॉक के पीछे मेन मार्केट में गुरू सिंह सभा | 16117 |
| **2** | मेन मार्केट में शिव मंदिर (सनातन धर्म सभा द्वारा प्रबंध) | 21946 |
| **3** | पोहलू राम सराय में सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर | 24155 |
| **4** | एच-ब्लॉक के निकट बाल्मिकी मंदिर | 12460 |
| **5** | फैरी घाट के निकट गुरूद्वारा बड़ा साहिब | 36000 (लगभग) |
| **6** | ईई-ब्लॉक के साथ मवेशी तालाब के निकट डेरा | 19500 (लगभग) |
| **7** | सतलुज सदन के निकट नव दुर्गा मंदिर | 38500 (लगभग) |
| **8** | आई.टी.आई. के सामने मंदिर भोला नाथ | 3000 |

**(ग) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिनांक 17.07.2000 के पत्र संख्या 11164-66/बी-2045/5-4-आईआरआर के तहत तलवाड़ा टाउनशिप में आवंटित राशिः**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **धार्मिक निकाय का नाम** | **कब्जेवाली भूमि (वर्गफुट में)** |
| **1** | गुरूद्वारा सिंह सभा, सेक्टर-2 | 154629 |
| **2** | सनातन धर्म सभा, सेक्टर-2 | 186906 |
| **3** | आर्य समाज मंदिर, सेक्टर-3 | 9285 |
| **4** | गुरू रवि दास मदिर सभा, सेक्टर-3 | 49460 |
| **5** | बाल्मिकी सभा, सेक्टर-4 | 45380 |
| **6** | विश्वकर्मा मंदिर सभा, सेक्टर-1 | 39812 |
| **7** | पंज पीर नाग देवता मंदिर, सेक्टर-1 | 41989 |
| **8** | पंज पीर दाता, सेक्टर-3 | 3306 |
| **9** | बाबा बालकनाथ मंदिर, सेक्टर-4 | 20000 |
| **10** | शिव मंदिर, झुग्गी कॉलोनी | 1000 |

\*\*\*\*\*\*\*\*